

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी)<sup>1</sup> सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 के नियम-५(३) में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत सेवा नियमावली के नियम-८ के प्राविधिकानुसार राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को विभागीय लिखित परीक्षा हेतु विषयवार अवधारित १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के विज्ञापन दिनांक 23.02.2014 के क्रम में उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1006/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स./2018-19/दिनांक 24.07.2018 द्वारा प्रदत्त उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधार पर निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिका को स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान: 44900-142400, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-७ ) में सहायक अध्यापक एल.टी. (गणित) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय पदस्थापित किया जाता है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-गणित (शाखा-सामान्य)

क्र. सं.	चयन सूची का क्रमांक/तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उप श्रेणी	कार्यरत विद्यालय का नाम	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	122 / 24.07.2018	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री श्रीधर प्रसाद, ग्राम व पोस्ट-मयकोटी, रुद्रप्रयाग। (पिन कोड-246448)	01.06.1979	रुद्रप्रयाग	सामान्य	-	रा.उ.प्रा.वि. मथगांव (जखोली) रुद्रप्रयाग	रा.उ.मा.वि. हड्डीखाल (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)  
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ ८७२१ - ३५ /३क(२)नियुक्ति/२०१८-१९/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
- सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

11. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गणित विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुसति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र रखीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की अनुसति पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न

#### प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....  
 .....एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभौति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त वाचित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.पद.....विषय.....को दिनांक .....के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।


ह0संस्थाध्यक्ष  
नाम—

पदनाम एवं सील

12. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, अन्तिम उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अनुसति उत्तराखण्ड के जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

13. कार्यालय प्रति।

  
 (महावीर सिंह बिष्ट)  
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)  
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

#### अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....  
 सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित  
ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष